उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

अनुज्ञप्ति रद्द अपीलवाद संख्या–03/2019

महादेव राम

–बनाम–

राज्य, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
दिनांक :- 09.11.2022	प्रस्तुत मामला जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा जनवितरण प्रणाली दुकान अनुज्ञप्ति संख्या 01/2001 को रद्द किये जाने के विरूद्ध अपील किये जाने से संबंधित है। अपीलार्थी श्री महादेव राम, पिता–स्व0 रामलाल राम, ग्राम–सिन्दुर, थाना–कोर्रा, जिला–हजारीबाग के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जनवितरण प्रणाली दुकान वर्ष–2001 से विधिवत चलाया जा रहा था। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग के आदेश ज्ञापांक 412/आ0 दिनांक 12.06.2019 के द्वारा उनके जनवितरण प्रणाली के दुकान अनुज्ञप्ति संख्या 01/2001 को सुनवाई हेतु मौका दिये बिना रद्द कर दिया गया। अपीलार्थी के द्वारा बतलाया गया कि उनके अनुज्ञप्ति को तथ्यहीन आरोपों एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर उनके पक्ष सुने बिना रद्द कर दिया गया। उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप की उनका व्यवहार अपने कार्डधारियों के साथ अच्छा नहीं है तथा वितरण में अनियमितता बरती जाती है। सभी आरोप तथ्यहीन हैं एवं उन्हीं आरोपों के आधार पर अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा पुनः बताया गया कि उनके उपर लगाये गये तथ्यहीन आरापों के आधार पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग के ज्ञापांक 656/आ0, दिनांक 21.08.2018 के द्वारा अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए कारण पृच्छा किया गया जिसके आलोक में उनके द्वारा कारणपृच्छा का जवाब समर्पित किया गया । उक्त जवाब में उनके द्वारा सभी आरोपों को निराधार बतलाया गया तथा यह भी बताया गया कि वस्तुओं की आपूर्ति प्रत्येक कार्डधारियों को ई–पॉश मशीन से रसीद निकाल कर उनके राशन	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

कार्ड पर इन्द्राज कर निर्धारित राशि लेकर की जाती है। आज तक किसी भी कार्डधारी द्वारा कार्यालय में कोई शिकायत आवेदन पत्र नहीं दिया गया है। गांव के ही कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा शिकायत किया गया गया है। इस संबंध में कार्डधारियों का लिखित आवेदन पत्र जिसपर स्थानीय मुखिया एवं जनप्रतिनिधि द्वारा मेरे पक्ष में है मूल रूप में संलग्न है।

इस संबंध में ग्रामीणों एवं कार्डधारियों द्वारा सक्षम प्राधिकार के समक्ष आवेदन पत्र समर्पित कर बताया गया कि सभी कार्डधारी श्री महादेव राम, जनवितरण प्रणाली दुकानदार के दुकान से राशन का उठाव प्रत्येक महीना करते हैं। कार्डधारियों को प्रत्येक माह अन्त्योदय कार्ड में 35 कि0ग्रा0 चावल एवं गेंहू मिलाकर तथा पी0एच0 कार्डधारियों को प्रति कार्ड में अंकित प्रति व्यक्ति पांच कि0ग्रा0 के हिसाब से राशन की आपूर्ति कर निर्धारित राशि ही लिया जाता है। उन्हें विक्रेता से आज तक किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं है। महादेव राम विक्रेता का दुकान बन्द हो जाने से कार्डधारियों को राशन उठाने के लिए दूसरा गांव जाना पड़ेगा जिससे लोगों को काफी कठिनाई होगी।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक, हजारीबाग द्वारा न्यायालय में पक्ष रखा गया कि सक्षम प्राधिकार के द्वारा विषयगत मामले में विधिसंगत उचित आदेश एवं अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की गई है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के स्पष्टीकरण पर अनुज्ञप्ति प्राधिकार के द्वारा विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अन्य जांच पदाधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने का समुचित मौका प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार अनुज्ञप्ति प्राधिकार का आदेश नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों सिद्धान्तों के अनुपालन पर खरा नहीं उतरता है।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख स
	अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आदेश न्यायोचित नहीं होने के कारण निरस्त किया जाता है परन्तु आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए अपीलार्थी को 10,000/- (दस हजार) रू0 जुर्माना की राशि के साथ अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। भविष्य में अपीलार्थी के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उनके विरूद्ध सत्यता के आधार पर अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें। उपायुक्त, हजारीबाग। लेखापित एवं संशोधित उपायुक्त, हजारीबाग	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

Digitally signed by NANCY SAHAY
Date: 2023.08.05 16:16:24 +05:30
Location: 192.168.1.38